


2 4/2 20

आदेश

दिनांक 19.12.2020 को अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा नौख पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 153 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 154 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 155 रकबा 0.13 बीघा व खसरा संख्या 156 रकबा 315.10 बीघा कुल रकबा 316.12 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा नौख पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 153 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 154 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 155 रकबा 0.13 बीघा व खसरा संख्या 156 रकबा 315.10 बीघा कुल रकबा 316.12 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगाढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मॉडिफाई अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैंसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उप जज अधिकारी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2020/

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

2814

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 22/12/20

अप्रार्थीगण

1 खेराजराम 2 मालाराम 3 दाऊराम 4
सोनाराम 5 नेनाराम पिसरान भूराराम 6
दलाराम 7 पूराराम पिसरान उगराराम 8
मगाराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी
नोख तहसील व जिला बाड़मेर।

1 ताजाराम पुत्र हरचन्द्रराम 2 साजनराम 3
मोबताराम पिसरान बागाराम 4 पीराराम 5
लाभूराम पिसरान भूराराम 6 पेमाराम पुत्र
केसराराम 7 गवरी पत्नी भूराराम जाति जाट
निवासी नोख तहसील व जिला बाड़मेर।

दिनांक- 22/12/20

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 05/2020

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नौख पटवार क्षेत्र खुडासा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 153 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 154 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 155 रकबा 0.13 बीघा व खसरा संख्या 156 रकबा 315.10 बीघा कुल रकबा 316.12 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/

2815-2818

दिनांक- 22/12/20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खुडासा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खेराजराम पुत्र भूराराम वगैराह जाति जाट निवासी नोख तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी ताजाराम पुत्र हरचन्द्रराम वगैराह जाति जाट निवासी नोख तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर